संख्या: 87/2025/656/पू०वि०नि०/35-1-2025

प्रेषक,

आलोक कुमार,

प्रमुख सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
   उ० प्र० शासन।
2. आयुक्त,
   प्रयागराज, वाराणसी, विन्ध्याचल, आजमगढ़, गोरखपुर, देवीपाटन, अयोध्या, बस्ती, झांसी एवं चित्रकूट धाम मण्डल।
3. जिलाधिकारी,
   प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर, प्रतापगढ़, अयोध्या, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, अमेठी, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, देवरिया, वाराणसी, चन्दौली, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, मीरजापुर, सन्त रविदास नगर (भदोही), सोनभद्र, बस्ती. सिद्धार्थनगर, सन्तकबीरनगर, गोण्डा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, झांसी, जालौन, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट, महोबा तथा हमीरपुर।

नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ दिनांकः 17 अप्रैल, 2025

विषयः संतुलित क्षेत्रीय विकास (पूर्वांचल / बुन्देलखण्ड) निधि के मार्गदशी सिद्धान्तों के प्रस्तर 6.4 में कार्यदायी संस्था के नाम में संशोधन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल/बुन्देलखण्ड क्षेत्र में स्थित जनपदों में अन्तर क्षेत्रीय विषमताओं एवं पिछड़ेपन को कम करने तथा संतुलित विकास के उद्देश्य से संतुलित क्षेत्रीय विकास (पूर्वांचल/बुन्देलखण्ड) निधि से सम्बन्धित मार्गदर्शी सिद्धान्त का प्रतिपादन शासनादेश संख्या- 1337/35-5-2002-8(74)/2000-170, दिनांक 19 सितम्बर,2002 तथा तदोपरान्त शासनादेश संख्या-11/2022/1115/717/35-1-2022, दिनांक 09 नवंबर, 2022 द्वारा मार्गदर्शी सिद्धांतों में कतिपय संशोधन निर्गत किये गये हैं। इन मार्गदर्शी सिद्धान्त के प्रस्तर 6.4 में कार्यदायी संस्था **"फैक्सपेड (केवल भवन निर्माण हेतु)"** का उल्लेख है। फैक्सपेड संस्था का नाम वित्त विभाग के शासनादेश सं०-3/2016-ई-8-2172/10-2016-89/2004 दिनांक 26 सितम्बर, 2016 द्वारा परिवर्तित होकर **"उ०प्र० राज्य निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड, लखनऊ (यू०पी०आर०एन०एस०एस०)"** हो गया है।

2. अतः इस सम्बन्ध में मुझे कहने का निदेश हुआ है कि संतुलित क्षेत्रीय विकास (पूर्वांचल/बुन्देलखण्ड) निधि के मार्गदर्शी सिद्धान्तों से सम्बंधित उक्त शासनादेशों के प्रस्तर-6.4 में अंकित कार्यदायी संस्था **"फैक्सपेड (केवल भवन निर्माण हेतु)"** के स्थान पर **"उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड, लखनऊ (यू०पी०आर०एन०एस०एस०) (केवल भवन निर्माण हेतु)"** पढ़ा जाए।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3. उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 19 सितम्बर, 2002 तथा दिनांक 09 नवम्बर, 2022 इस सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।

भवदीय,
आलोक कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या 87/2025/656/पू०वि०नि०/35-1-2025 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा हकदारी) उ०प्र०, प्रयागराज।
2. महालेखाकार, लेखा परीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश।
4. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश।
5. प्रधान निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ०प्र०शासन।
6. नियोजन विभाग के समस्त अधिकारीगण ।
7. समस्त अनुभाग, नियोजन विभाग, उ०प्र०शासन ।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
9. सचिवालय प्रशासन(अधिष्ठान) अनुभाग-1 ।
10. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, संबंधित जनपद।
11. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, संबंधित जनपद ।
12. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, संबंधित जनपद, उत्तर प्रदेश।
13. जिला राजकीय कार्यदायी संस्थाए, उत्तर प्रदेश ।
14 . गार्ड फाइल ।

आज्ञा से
शैलेश कुमार तिवारी
उप सचिव ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।